न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 32 / 2025(GCMS 2025/198)

श्री साहब राम विद्यार्थी पुत्र स्व. श्री सुखपाल निवासी वार्ड नम्बर 19, सादुलशहर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

18.06.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साहबराम विद्यार्थी स्वयं उपस्थित हुए। और लिखित बहस पेश की।

अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है कि कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर ने आपको पत्र क्रमांक भ्रनिब्यू / परि / 2023 / 15577–78 दिनांक 09.11.2023 को आवश्यक कार्यवाही के लिए विरूद्ध श्री प्रदीप खिचड़, तत्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़, व तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री नरेन्द्र पुरोहित पत्र लिखा था। उसको लगभग 2 वर्ष होने वाले है। मैनें आप द्वारा की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति चाही है। अतः उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहतयह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम विद्यार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पत्र क्रमांक भ्रानिब्यू/परि/2023/15577–78 दिनांक 09.11.2023 को परिवाद क्रम संख्या एच 4971/2023 दिनांक 30.10.2023 को विरूद्ध श्री प्रदीप खिचड़ अध्यक्ष नगरपालिका सादुलशहर ईओ श्री पृथ्वीराज जाखड़ व उपखण्ड अधिकारी श्री नरेन्द्र पुरोहित इन तीनों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही करके भ्रष्टाचार निरोधक महानिदेशक ब्यूरों, जयपुर में भेजी है। आप द्वारा भेजी गई कार्यवाही की सत्यापित प्रमाणित कॉपी दी जाये।

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 350 दिनांक 26.05.2025 से अपीलार्थी की मूल अपील प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा को स्थानान्तरित की है। प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा ने अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था./2024/424 दिनांक 20.01.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र. सं.	चही गई जानकारी	उत्तर
1	कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पत्र क्रमांक भ्रानिब्यू/परि/2023/15577–78 दिनांक 09.11.2023 को परिवाद क्रम संख्या एच 4971/2023 दिनांक 30.10.2023 को विरूद्ध श्री प्रदीप खिचड़ अध्यक्ष नगरपालिका सादुलशहर ईओ श्री पृथ्वीराज जाखड़ व उपखण्ड अधिकारी श्री नरेन्द्र पुरोहित इन तीनों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही करके भ्रष्टाचार निरोधक महानिदेशक ब्यूरों, जयपुर में भेजी है। आप द्वारा भेजी गई कार्यवाही की सत्यापित प्रमाणित कॉपी दी जाये।	सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं मिमों की प्रतियां, जांच आदि नोटिस एवं आदेश व्यक्तिगत श्रेणी में आते है, यानि संगठन एवं कर्मचारी/अधिकारी के बीच का मामला है। ये सूचनाऐं तभी सार्वजनिक हो जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो। अतः आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोई व्यापक जनहित नही है, इसलिए वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 8(1)(j) के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। इसलिए **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:40 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर